

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2279 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक- 09/02/2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०- 53193/2020)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं०-08 बी/यू०सी०पी०/०६/५५/२०२२/एफ०सी०/ दिनांक 04.11.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4741/12-1(2) दिनांक 28.01.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232162ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 4741 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 28/01/2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय -

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० 53193/2020)।

संदर्भ -
महोदय,

भारत सरकार का पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी/०६/५५/२०२२/एफ०सी० दिनांक-०४.११.२०२५।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर निम्नवत प्रेषित है।

क्र. सं०	आपत्ति	निराकरण
1	As per Dss analysis, the proposal diversion area becomes 1.94 ha. instead of 2.205 ha. The same shall be submitted accordingly.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित के०एम०एल० फाईल पार्ट। के सैक्शन सी० में अपलोड कर ली गयी है।
2	The user agency shall submit the proper alternative alignment along with a comparative statement.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित के०एम०एल० फाईल पार्ट। के सैक्शन सी० में अपलोड कर ली गयी है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 4741 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।